IS 15700:2005
संगठन प्रमाणित

# उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
## (सम्पत्ति अनुभाग)
## 104,महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

IS 15700
SQMS

पत्र संख्या– 435 / सं0प्र0–3 / 124–2001(भाग–2) / 76 दिनॉक– 03/04/2014

**कार्यालय आदेश**

नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियों में नीलामी के उपरान्त क्षेत्रफल में कमी / आधिक्य होने पर लिये जाने वाले मूल्य सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश संख्या–769 / सं0प्र0–3 / 97–2000(भाग–2),दि0 15.04.2004 जारी है।

उक्त आदेश में संशोधन करते हुये एतद् द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि परिषद में अब नीलामी के माध्यम से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियों में यदि नीलामी के उपरान्त क्षेत्रफल में कमी होती है तो स्वीकृत उच्चतम बोली / बिड की दर से धनराशि की वापसी किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था तत्काल से प्रभावी होगा तथा भविष्य में होने वाली सम्पत्तियों की नीलामी के लिये लागू होगा।

पूर्व स्वीकृत सम्पत्तियों जिनकी नीलामी हो चुकी है तथा उनके क्षेत्रफल में कमी परिलक्षित है, उन सम्पत्तियों हेतु कार्यालय आदेश संख्या–769 / सं0प्र0–3 / 97–2000 (भाग–2), दिनॉक 15.04.2004 द्वारा जारी व्यवस्था ही लागू होंगी।

उक्त के साथ–साथ यह भी आदेश दिये जाते हैं कि व्यवसायिक सम्पत्तियों में यदि नीलामी के उपरान्त क्षेत्रफल में आधिक्य होता है तो ऐसे आधिक्य की दशा में क्षेत्रफल में 10% तक की वृद्धि हेतु स्वीकृति बोली की दर से मूल्य लिया जायेगा परन्तु यदि इससे अधिक वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में 10% से अधिक वाली शेष भूमि का मूल्य निम्नवत् आगणित किया जायेगा।

1. स्वीकृत बोली का तत्कालीन आरक्षित दर के सापेक्ष प्रतिशतत्ता गुणॉक निकाला जाये।
2. बढ़े हुये क्षेत्रफल का भौतिक कब्जा प्राप्ति के समय के माह की आरक्षित दर निकालकर क्रमांक–1 में प्राप्त प्रतिशतत्ता गुणॉक के आधार पर मूल्य आगणित किया जाये।
3. बढ़े हुये क्षेत्रफल के भौतिक कब्जा प्राप्ति के माह में उसी योजना में पूर्व में हुई अन्य नीलामी दरें / प्राधिकरण अथवा सोसाइटीज की दरें / मार्केट दरें / सर्किल दरें / योजना में प्राप्त पूर्व में स्वीकृत नीलामी दरें प्राप्त की जायें।

उपरोक्तानुसार क्रमांक–2 तथा क्रमांक–3 में जो भी दर अधिक हो, उसी दर से 10% से अधिक बढ़ी हुई शेष भूमि के क्षेत्रफल का मूल्य निकाल कर, बोली दाता से लिया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

**( एम0के0एस0सुन्दरम् )**
आवास आयुक्त

पृ0सं0– 435 / उक्त / तद्दिनॉक

**प्रतिलिपि** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर / संयुक्त / उप आवास आयुक्त,जोन,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. संयुक्त आवास आयुक्त,प्रशा0,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक / मुख्य वास्तुविद नियोजक / मुख्य अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ताओं को परिषद मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि सम्पत्तियों को आफर करने से पूर्व उनके क्षेत्रफल की गहन जॉच करके वास्तविक क्षेत्रफल ही निस्तारण / आवंटन हेतु सूचित किया जाये।
5. सहायक आवास आयुक्त / सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
6. मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी / कार्यालय आदेश पुस्तिका हेतु।

**आवास आयुक्त**